कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर।

पत्रांक 4623 /14–1 दिनांक बुलन्दशहर, 30, जून 2023।

सेवा में,

मैनेजर,
इण्डियन ऑयल अडानी गैस प्रा0लि0,
द्वितीय तल एस0के0एण्ड कम्पनी, मारुती सुजुकी जोन,
शिकारपुर बाईपास रोड, बुलन्दशहर।

विषय– जनपद बुलन्दशहर में दिल्ली–कानपुर मार्ग एन0एच0–91 (नया एन0एच0–34) किमी0 61 भाग से 70 भाग तक बांयी पटरी की 0.45 हे0 संरक्षित वनभूमि में इण्डियन ऑयल अदानी गैस प्राईवेट लिमिटेड की गैस पाईप लाईन डालने के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं0 एफपी/यू0पी0/अदर्स/120617/2021)

सन्दर्भः– सचिव, उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ का पत्र संख्या 2109/81–2–2021–800(94)/2021 दिनांक 24.05.2022 । इस कार्यालय की पत्र स0 4278/14–1 दिनांक 29.05.2023।

सचिव, उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ के पत्र संख्या 2109/81–2–2021–800(94)/2021 दिनांक 24.05.2022 द्वारा विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में गैस पाईप लाईन डालने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गयी शर्तो की अनुपालन/आख्या तथा धनराशि ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमा करते हुए रसीद ऑन लाईन चालान की प्रति उपलब्ध करायें।

1.	सम्बन्धित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
2.	भूमिगत पाइप लाइन मार्गो/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे–किनारे ही बिछाये जायेंगे।
3.	पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेंच की साइज 2.00 मी0 गहराई 1.00मी0 चौड़ाई से अधिक न होगी।
4.	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भरकर कम्पैक्ट करना होगा कि भू–क्षरण की सम्भावना न हो।
5.	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
6.	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
7.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
8.	भूमि का सरफेस राइट् (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भॉति यथावत् बना रहेगा।
9.	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या –5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestatin Fund Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी। इस सम्बन्ध में आप प्रभावित होने वाली 0.45 हे0 भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 9,57,780/– प्रति हे0 की दर से रू0 4,31,001/– की धनराशि ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में जमा कराकर रसीद (ऑन लाईन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
10.	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
11.	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।
12.	भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या–जे–11013/41/2006–IA–II(I), दिनांक 02 दिसम्बर,2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है।
13.	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।
14.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11–9/98–एफ0सी0, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा फाइल में दर्शाया गया।

BS-PR-2324-000016

15.	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।
16.	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
17.	उपरोक्त में 8.4 इंच (125एमएम) डाया नेचुरल गैस पाइप लाईन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएवं प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।
18.	उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
19.	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाईप लाईन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सैद्धान्तिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गयी है कि कृपया एजेन्सी के पास गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु वैद्य एवं अधिकृत लाईसेंस हो तथा इस कार्य के लिए उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो। उक्त शर्तो के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। इस कार्यालय की पत्र स0 4278/14–1 दिनांक 29.05.2023 द्वारा आपको वाछित धनराशि जमा करने तथा अनुपालन आख्या भेजने हेतु लिखा गया था परन्तु आप द्वारा अभी तक वाछित धनराशि जमा नही की गयी है।

अतः वाछित धनराशि जमा कर अनुपालन आख्या शीघ्र–अतिशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध करायें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।

BS-PR-2324-000016

शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की गणना का प्रमाण–पत्र

जनपद बुलन्दशहर में दिल्ली–कानपुर मार्ग एन0एच0–91 (नया एन0एच0–34) किमी0 61 भाग से 70 भाग तक कुल 9.00 किमी0 (ग्राम सुखलालपुर से अडोली तक) बांयी पटरी में इन्डियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लि0 बुलन्दशहर द्वारा स्टील गैस पाईप लाईन डाली जानी प्रस्तावित है। गैस पाईप लाईन डाले जाने से दिल्ली–कानपुर मार्ग एन0एच0–91 (नया एन0एच0–34) किमी0 61 भाग से 70 भाग तक कुल 9.00 किमी0 (ग्राम सुखलालपुर से अडोली तक)बांयी पटरी की 0.45 है0 संरक्षित वन भूमि का उपयोग किया जायेगा। प्रस्तावित 0.45 है0 संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की गणना निम्नानुसार है।

1.	प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि	–	0.45हैक्टेयर
2.	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित दर	–	रू0 9,57,780/–
3.	कुल धनराशि	–	0.45**X**957780
		=	रू0 4,31,001/–

इन्डियन ऑयल अडानी गैस प्रा0 लि0
बुलन्दशहर।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।